# झारखण्ड विधान सभा

## ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
अष्टम् (बजट)सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 24.01.2017 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

| क्र0सं0 | सदस्य का नाम | विषय | विभाग |
|---|---|---|---|
| 01. | 02. | 03. | 04. |
| 01- | सर्वश्री भानु प्रताप शाही, प्रकाश राम एवं श्री एनोस एक्का स0वि0स0 | दिनांक- 03.02.2016 से झारखण्ड राज्य में लोकायुक्त जैसा महत्वपूर्ण पद रिक्त है जिससे सरकारी कार्यकलाप एवं सरकारी कर्मियों के विरूद्ध की जा रही शिकायत की जन-सुनवाई नहीं हो पा रही है जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है तथा शिकायत कर रहे हमारे राज्य के सम्मानित जनता असहाय एवं ठगा महसूस कर रहे है।<br>अतः लोकायुक्त जैसे महत्वपूर्ण पद पर अविलम्ब किसी सक्षम सेवानिवृत न्यायमूर्ति की नियुक्ति कराने के लिए सदन के माध्यम से हम सभी सरकार का ध्यानाकृष्ट कराते है। | कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा |
| 02- | श्री सुखदेव भगत स0वि0स0 | लोहरदगा नगर पर्षद के द्वारा ग्राम जुरिया में 6 एकड़ 90 डिसमील जमीन ठोस कचरा प्रबंधन हेतु क्रय की गई जिसकी कीमत बाजार मुल्य से दोगुने दर पर की गई साथ ही उक्त स्थल में 20 एकड़ गैर मजरूवा जमीन उपलब्ध है बावजूद इसके नगर पर्षद के द्वारा भू-माफियों से सांठ-गाँठ कर सरकारी राशि का दुरूपयोग एवं गबन किया गया। | राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार |

कृ0पृ030

| 01. | 02. | 03. | 04. |
|---|---|---|---|
| | | अतः संबंधित पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।<br>भूमि का विवरणीः-<br>**खाता नं0- 169**<br>**प्लॉट नं0- 2547**<br>2548<br>2530<br>2529<br>**रकबा- 6 एकड़ 90 डिसमील** | |
| 03- | श्री बिरंची नारायण<br>स0वि0स0 | राज्य में सभी नगरपालिका/अधिसूचित क्षेत्र समितियों/ RRDA और माडा के द्वारा निजी भवनों/अपार्टमेंटों का नक्शा पास करने हेतु वर्त्तमान में निर्धारित न्यूनतम निर्माण लागत मूल्य रूपये 1400/-प्रति वर्ग फीट के दर से 1% लेबर शेष लिया जा रहा है, जोकि पूर्व में 800/- प्रति वर्ग फीट के दर से लिया जा रहा था। राज्य के प्रत्येक जिले में निर्माण सामग्रियों (बालू, सीमेंट, ईट, चिप्स, इत्यादि) का रेट, तथा जमीन का रेट, इत्यादि अलग-अलग है, जिस कारण कई जिलों में तो रू0-1400-1500/- प्रति वर्ग फीट के दर से बना बनाया फ्लैट बिक रहा है। अतः सम्पूर्ण झारखण्ड में निजी भवनों/अपार्टमेंटों का निर्माण लागत मूल्य रूपये 700-800/-प्रति वर्ग फीट के दर से अधिक नहीं है।<br>अतएव मैं इस दिशा में सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए माँग करता हूँ कि उक्त न्यूनतम निर्माण लागत मूल्य रूपये 1400/-प्रति वर्ग फीट की समीक्षा कर इसे कम किया जाय, ताकि राँची से दूर जिलों के भवन/अपार्टमेंट निर्माताओं एवं आम खरीददारों को राहत मिल सके। | नगर विकास एवं आवास |
| 04- | सर्वश्री नलिन सोरेन, रवीन्द्र नाथ महतो एवं श्री राज कुमार यादव<br>स0वि0स0 | दुमका को उप-राजधानी का दर्जा प्राप्त है, झारखण्ड राज्य बनने के समय से ही बिहार रिऑर्गेनाईजेशन बिल की धारा-25(2) के तहत् दुमका में राँची उच्च न्यायालय खण्डपीठ की स्थापना की मांग उठती रही है लेकिन 16 वर्ष गुजरने के बाद भी हाईकोर्ट बेंच की स्थापना अब तक नहीं हो पाया है। | विधि |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | उपरोक्त प्रस्ताव दिनांक- 05.08.2014 को सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या-03 के उत्तर में सरकार को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु सूचित किया गया था। दिनांक-08.01.2015 को सरकार गठन के बाद माननीय सदस्य श्री स्टीफन मरांडी द्वारा दुमका में खंडपीठ बेंच की स्थापना के लिए सदन में सूचना के माध्यम से प्रस्ताव लाया गया था, सभी माननीय सदस्यों द्वारा सदन में दुमका खंडपीठ बेंच स्थापना का प्रस्ताव ध्वनि मत/तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पक्ष-विपक्ष ने यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया तथा माननीय सभा अध्यक्ष द्वारा भी यह सर्वसम्मति से पारित होने के बाद केन्द्र सरकार को इस मामले पर कार्रवाई हेतु नियमन दिया। 16.08.2016 को दुमका के समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार की राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को दुमका में खंडपीठ की स्थापना हेतु डेढ़ वर्ष समय बीतने के बाद भी पक्ष-विपक्ष/सभाध्यक्ष द्वारा 08.01.2015 को सदन द्वारा पारित वैधानिक प्रस्ताव अबतक नहीं भेजा है। झारखण्ड बार काउंसिल, जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पारित वैधानिक प्रस्ताव नहीं भेजने की राज्य सरकार की निन्दा की गयी है कि सरकार संथाल परगना प्रमंडल के आदिवासी बाहुल जनता की अवहेलना कर रही है। संथाल परगना प्रमंडल के साहेबगंज, पाकुड़ एवं गोड्डा जिला की राँची से दूरी 400-450 किलोमीटर है। राँची आने-जाने में तीन दिनों का समय बर्बाद तथा आर्थिक नुकसान होता है। आदिवासी एवं अन्य लोगों के लाखों मामले राँची उच्च न्यायालय में लंबित है, जिससे लोगों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।<br>अतः दुमका में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए वैधानिक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजने के लिए राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। | |
| 05- | श्रीमती गंगोत्री कुजूर<br>स0वि0स0 | केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा देश एवं राज्य में कैश-लैश अभियान को सफल बनाने के लगातार प्रयास हो रहे है। कैश-लैश System को लागू करने में राज्य सरकार का प्रयास सराहनीय है। परन्तु राज्य सरकार के कई विभागों द्वारा इस दिशा में समुचित गंभीरता नहीं बरती जा रही है। विभागीय Web-Site को Up to Date करनें में उनकी लापरवाही खटकती है। बिजली विभाग, राजस्व निबन्धन एवं भूमि सुधार विभाग एवं अन्य प्रमुख विभागों के Web-Site का उपयोग कई बार नागंरिकों को | मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | परेशान करता है। Web-Site पर कई खामीयों के कारण विभागीय जानकारी Online Payment और अन्य सेवाओं का लाभ लेने में कई चुनौतियाँ दिखती है। एक ओर राज्य सरकार अपनी सभी सेवाओं को नागरिकों तक पहुँच आसान करने में लगी है। वहीं दुसरी ओर विभागीय पदाधिकारियों की ऐसी लापरवाही का दिखना हतासा और छौन्य पैदा करता है।<br>अतएव इस मामले की गंभीर जाँच करने और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कदम उठाया जाय। | |

राँची,
दिनांक- 24 जनवरी, 2017 ई0।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2017-...985...../वि0 स0, राँची, दिनांक-23/01/17

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/ कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/विधि विभाग एवं मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/1/17

(एस0 शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2017-...985...../वि0 स0, राँची, दिनांक-23/01/17

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

23/1/17

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

23.01.17